

नया संशोधित सहाय्य मानदर

सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2010-12 के लिए सहाय्य मानदर दिनांक 1.04.2012 के प्रभाव से पूरे राज्य में लागू किया गया है। यह मानदर 01-04-2012 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़ , सुखाड, अग्निकांड, चक्रवात, हिमपात, ओलावृष्टि, भूस्खलन, कीटपतंगों के आक्रमण आदि के लिए लागू होगा ।

मानदर की संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार हैं -

क्र० सं०	मद का नाम/ITEM	भारत सरकार के पत्र सं०-32-7 / 2011 / एन०डी०एम०- द्वारा निर्धारित मानदर/ Norms of Assistance
1	GRATUITOUS RELIEF/ अनुग्रह अनुदान:-	
	(क) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	<p>₹ 1.50 लाख प्रति मृतक (राहत कार्य एवं तैयारी गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों की मृत्यु सहित), बशर्त्त सक्षम प्राधिकार द्वारा मृत्यु के कारणों का प्रमाणीकरण (Certification) किया गया हो।</p> <p>➤ भारतीय नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण विदेश में मृत्यु होने पर उसके परिवार का अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।</p> <p>➤ इसी प्रकार विदेशी नागरिक का अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर मृत्यु होने पर उसके परिवार का अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं होगा ।</p>
	(ख) हाथ-पैर या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह अनुदान का भुगतान।	<p>₹ 43,500.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 40 से 80 प्रतिशत के बीच हो)</p> <p>₹ 62,000.00 प्रति व्यक्ति (जब विकलांगता 80 प्रतिशत से अधिक हो)</p> <p>बशर्त्त सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी के द्वारा विकलांगता के सीमा एवं कारण का प्रमाणीकरण किया गया हो।</p>

	(ग) गंभीर चोट जिसके चलते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े।	₹ 9300.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर) ₹ 3100.00 प्रति व्यक्ति (एक सप्ताह से कम हॉस्पिटल में भर्ती रहने पर)
2	AGRICULTURE/ कृषि	
A	Assistance for land and other loss/ भूमि एवं अन्य क्षति हेतु सहाय्य	
	(क) कृषि योग्य भूमि का डिसिल्टिंग	₹ 8100.00 प्रति हेक्टर प्रत्येक मद के लिए
	(घ) भूस्खलन/बर्फ का पहाड़ से खिसकना, नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भूमि के बड़े हिस्से की क्षति।	₹ 25,000.00 प्रति हेक्टर
B	Input subsidy (where crop loss is 50% and above)/ इनपुट सब्सिडी (जहाँ फसल क्षति 50% या उससे अधिक हुआ हो।)	
	(क) कृषि फसल/ रोपने वाले फसल (Horticulture crops) एवं वार्षिक वृक्षारोपण वाले फसल आदि के लिए	₹ 3,000/- प्रति हेक्टेयर वर्षा आधारित फसल क्षेत्र के लिए। ₹ 6,000/- प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए।
	(ख) शाश्वत फसल (Perennial crops) के लिए	₹ 8000/- प्रति हेक्टेयर, सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए।
	(ग) सेरीकल्चर (रेशम) के लिए	₹ 3,200/- प्रति हेक्टेयर "इरी" "मलवेरी" के लिए ₹ 4,000/- प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिए
3	ANIMAL HUSBANDRY - ASSISTANCE TO SMALL AND MARGINAL FARMERS/ पशुपालन – लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता	
	i) अदुग्धकारी/ दुग्धकारी या दुलाई के कार्यों में उपयोग में आने वाले पशुओं का प्रतिस्थापन।	दूध देने वाला जानवर भैंस/गाय/ऊट/याक इत्यादि ₹ 16,400/- की दर से भेंड़/बकरी ₹ 1650/- की दर से अदुग्धकारी जानवर ऊट/घोड़ा/बैल इत्यादि ₹ 15000/- की दर से बछड़ा/गदहा और टट्टू ₹ 10000/- की दर से
4	FISHERY/ मत्स्यपालन	

	(i) मछुआरों के लिए नाव, जाल, आदि का मरम्मती/पुर्नस्थापन- क्षतिग्रस्त या खो जाने पर – <ul style="list-style-type: none"> • नाव • डोगी • कटमरैन • जाल 	₹ 3,000/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹ 1500/- आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त जाल के लिए ₹ 7,000/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त नाव के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 1,850/- पूर्णतः क्षतिग्रस्त जाल के प्रतिस्थापन के लिए
	(ii) मछली जीरा फार्म के लिये इनपुट सब्सिडी	₹ 6,000/- प्रति हेक्टर
5	HOUSING/अवास/मकान	
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	₹ 35,000/- प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	₹ 15,000/- प्रति मकान
	(घ) क्षतिग्रस्त /बर्बाद झोपड़ी	₹ 2500/- प्रति झोपड़ी

- अग्निकांड आपदा उपरांत राहत वितरण के संबंध में ये पत्रांक-1 /प्रा०आ०-36/2002/1376/आ०प्र० दिनांक- 27-04-12 के द्वारा नया मानदर परिचारित किया गया हैं | इसके अनुसार अग्निकांड आपदा के कारण जिन परिवारों के खाधान्न एवं वस्त्र , बर्तन / घरेलू सामान नष्ट हो गये हैं | उन परिवारों को राहत हेतु 1 क्वी० खाधान्न (50 किलो० ग्राम० गेहूँ एवं 50 किलो० ग्राम० चावल) तथा 4200 रुपये नगद (1400 नगद रुपये बर्तन / घरेलू सामान के लिए ,1300 नगद रुपये वस्त्र के लिए एवं 1500 रुपये नगद अनुदान) प्रति परिवार की दर से भुगतान किया जायेगा |
- मानदर से सम्बंधित विस्तृत सूचना विभागीय पत्रांक -1-प्रा०आ०-36/2002/1293/आ०प्र० के द्वारा परिचारित की गई हैं | यह विभागीय वेबसाइट www.disastermgmt.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं |
- घटना की सूचना सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाये तथा उनके स्तर से सहाय्य की राशि अविलम्ब प्रभावितों को नियमानुसार दी जाती हैं | किसी भी कठिनाई की दशा में राज्य नियंत्रण कक्ष के फैंक्स न०-0612-2217305 पर सूचना दी जा सकती हैं |